रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17—मार्च 23, 2012 (फाल्गुन 27, 1933)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17—MARCH 23, 2012 (PHALGUNA 27, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 61
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 267
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 273
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .... *
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .... *
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). .... *
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. .... *
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 517
भाग III—खण्ड-2—पैटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .... *
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. 4714
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. 199
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. .... *

---

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

gg

CONTENTS

Page No.

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 61

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 267

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 273

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 517

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 4714

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 199

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .... *

---

*Folios not received.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा
उपाधीक्षक
महानिदेश एवं महानिरीक्षक राजस्थान जेल का
कार्यालय, जयपुर राजस्थान

श्री एम. राजेन्द्रन
वार्डर ग्रेड-I (यूजी)
तमिलनाडु

श्री ए. कृष्णन
मुख्य हेड वार्डर
उप जेल, पोलुर
तमिलनाडु

श्री एस. गणेशन
वार्डर (ग्रेड-I)
उप जेल, पट्टुकोट्टई
तमिलनाडु

श्रीमती वी. बक्कीयम
मुख्य हेड वार्डर
विशेष महिला कारागार, पुझहल
तमिलनाडु

श्री राम सेवक बाथम
वार्डन
न्द्रीय जेल, बरेली
उत्तर प्रदेश

श्री राम कुमार उपाध्याय
ार्डन
जिला जेल, झांसी
उत्तर प्रदेश

ीमती सुमन तिवारी
हिला हेड वार्डन
ला जेल, झांसी
तर प्रदेश

श्री प्रेम सिंह
मुख्य वार्डन
जिला जेल, उन्नाव
उत्तर प्रदेश

श्री इश्तियाक अहमद
वार्डन
मॉडल जेल, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार सिंह
वार्डन
जिला जेल, मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश

श्री समीर कुमार राय
हेड वार्डर
अलीपुर केन्द्रीय सुधार गृह
पश्चिम बंगाल

श्री कृष्णबिलास दास
मुख्य नियंत्रक
प्रशिक्षण संस्थान, मेदिनीपुर
पश्चिम बंगाल

श्री बिद्युत कुमार राय
अधीक्षक
पुरुलिया जिला सुधार गृह
पश्चिम बंगाल

2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(iii) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एन डी एस ए पी) - 2012

---

1. प्रस्तावना

1.1 आंकड़ों की परिसम्पति और मूल्य संभाव्यताओं को सभी स्तरों पर व्यापक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है। सार्वजनिक निवेशों के माध्यम से संग्रहित अथवा विकसित आंकड़े जब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिए जाते हैं तथा काफी समय तक इनका रखरखाव किया जाता है तब उनके संभावित मूल्य को अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समुदाय की ओर से यह मांग बढ़ती जा रही है कि सार्वजनिक निधियों के उपयोग से संग्रहित इन आंकड़ों को सभी को अपेक्षाकृत अधिक तत्काल रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि तार्किक विचार - विमर्श संभव हो सके, बेहतर निर्णय लिए जा सकें और सिविल समाज की आवश्यकताएं पूरी करने में इनका प्रयोग किया जा सके। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (रियो डि जिनेरियो, जून, 1992) के सिद्धान्त 10 में कहा गया है कि:

"........... प्रत्येक व्यक्ति को उस परिवेश से संबंधित जानकारी के प्रति उचित अभिगम्यता होगी जो लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है.......... और उनके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करने का अवसर होगा। राज्य सूचना को व्यापक रूप से उपलब्ध करा कर जन जागरूकता और भागीदारी में सुविधा प्रदान करेंगे तथा इन्हें प्रोत्साहित करेंगे"

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (2) इस प्रकार है

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह सतत प्रयास होगा कि वह इंटरनेट सहित, संचार के विभिन्न माध्यमों से नियमित अन्तरालों पर जनता को स्वप्रेरणा से अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के लिए उप - धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार कार्रवाई करे ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का कम से कम सहारा लेना पड़े।"

1.2 जिन सिद्धांतों पर आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता को आधारित करने की आवश्यकता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: खुलापन, नमनीयता, पारदर्शिता, कानूनी अनुरूपता, बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण, औपचारिक उत्तरदायित्व, पेशेवर दृष्टिकोण, मानक, अन्तरप्रचालनीयता, गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता, देयता, धारणीयता और निजता

1.3 देश में विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा लोक निधियों का प्रयोग करते हुए सृजित किए गए काफी आंकड़े सिविल समाज को अनुपलब्ध रहते हैं, यद्यपि इनमें से अधिकांश आंकड़े प्रकृति में गैर - संवेदनशील हो सकते हैं तथा वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक प्रयोजनों के लिए जनता द्वारा इनका प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एन डी एस ए पी) की अभिकल्पना इस प्रकार की गई है ताकि यह चाहे अंकीय अथवा सदृश रूपों में उपलब्ध किन्तु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों/ संगठनों/ एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक निधियों का उपयोग करते हुए सृजित सभी भागिता योग्य गैर संवेदनशील आंकड़ों पर लागू हो सकें। एन डी एस ए पी नीति की अभिकल्पना राष्ट्रीय आयोजना और विकास के लिए आंकड़ा भागिता को बढ़ावा देने तथ भारत सरकार के स्वामित्व वाले आंकड़ों की अभिगम्यता में सक्षम बनाने हेतु की गई है।

2. परिभाषाएं

2.1 **आंकड़ा-** आंकड़े का अर्थ अंकीय और/अथवा सदृश रूप में सूचना, अंकीय संकलनों तथा पर्यवेक्षणों, दस्तावेजों, तथ्यों, मानचित्रों,चित्रों, चार्टों, सारणियों एवं आरेखों का प्रस्तुतीकरण है।

2.2 **आंकड़ा संग्रहालय-** दूसरे लोगों द्वारा आगे के विश्लेषण और उपयोग करने के लिए वह स्थान जहाँ मशीन द्वारा पढ़ने योग्य आंकड़े धारित, रूपान्तरित, प्रलेखीकृत और वितरित किए जाते है।

2.3 **आंकड़ा सृजन-** आंकड़ों का आरंभिक प्रापण/संग्रहण अथवा उन्हीं विशेषताओं के लिए आंकड़ों का पश्चातवर्ती परिवर्धन।

2.4 **आंकड़ा सेट-** प्रसंस्कृत आंकड़ों अथवा सूचना सहित तार्किक रूप से संबंधित विशेषताओं का शीर्षक युक्त संकलन।

2.5 **भू-स्थानिक आंकड़ा-** वे सभी आंकड़े जो भौगोलिक रूप से संदर्भित हों।

2.6 **सूचना-** संसाधित आकड़े

2.7 **मेटा डाटा** - वह सूचना जो उस आंकड़ा स्रोत तथा समय, स्थान और स्थिति का वर्णन करती है जिसमें आंकड़ों का सृजन किया गया था। मेटा डाटा प्रयोक्ता को यह जानकारी देता है कि किसने, कब, क्या, कहाँ, क्यों और कैसे आंकड़ों को सृजित किया है। मेटाडाटा आंकड़ों को परिचित मूल और ज्ञात गुणवता के लिए अन्वेषित करने में सहायता करता है।

2.8 **निषेधात्मक सूची-** विभागों/संगठनों द्वारा यथा घोषित गैर-भागिता वाले आंकड़े।

2.9 **सीमित आंकड़े** - वे आंकड़े जिन तक संबंधित विभागों /संगठनों द्वारा पंजीकरण एवं प्राधिकरण की विहित प्रक्रिया के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है।

2.10 **संवेदनशील आंकड़े** - भारत सरकार के विभिन्न अधिनियमों और नियमावली में यथा परिभाषित संवेदनशील आंकड़े।

2.11 **भागिता योग्य आंकड़े-** वे आंकड़े जोकि निषेधात्मक सूची के दायरे में नहीं आते और गैर संवेदनशील प्रकृति के है।

2.12 **मानक-** कोई अनुप्रयोग जो आंकड़ा संचालन कार्यों का उपयोग करता है (अर्थात् आंकड़ा एकत्रण, प्रबंधन, अंतरण, समेकन, प्रकाशन आदि) और आकड़ों पर इस प्रकार कार्य करता है जो मुक्त, मानक निकायों द्वारा निर्मित और अनुरक्षित आंकड़ा आरूप तथा आंकड़ा सिंटेक्स विशेषताओं के अनुसरण में है।

3. नीति की आवश्यकता

सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियाओं की साक्ष्य आधारित आयोजना गुणवत्ता युक्त आकड़ों पर निर्भर करती है। भारत सरकार के निकायों द्वारा सृजित और धारित व्यापक आंकड़ों की भागिता और उपयोग को सुसाध्य बनाने की जरूरत है। इसके लिए इन आंकड़ा परिसम्पतियों जो पृथक-पृथक रूप से विद्यमान, है का लाभ उठाने के लिए एक नीति की आवश्यकता होगी। आंकड़ा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था सरकार के दूसरे अंगों के साथ सरकार के स्वामित्व वाले आंकड़ों की मुक्त भागिता को समर्थ नहीं बनाती है न ही यह आंकड़ा धारकों के पास उपलब्ध भागिता योग्य आंकड़ों के अग्रसक्रिय प्रकटीकरण की अपेक्षा करती है। ऐसी व्यवस्था प्रयासों की द्विरावृत्ति और राष्ट्रीय विकास पर लक्षित कार्यकलापों की आयोजना की प्रभावकारिता को कम कर सकती है। आंकड़ा धारकों और अंतर एवं अंतरा सरकारी एजेंसियों और जनता के बीच प्रभावी आंकड़ा भागिता के लिए आंकड़ा मानकों और अंतर प्रचालनीय प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अतः राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के पास उपलब्ध सार्वजनिक निधियों के द्वारा. सृजित आंकड़ों के लिए अग्रसक्रिय और मुक्त अभिगम्यता प्रदान करने हेतु एक समर्थकारी प्रावधान और मंच प्रदान करना है।

4. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों एवं नियमावली के दायरे के भीतर रहते हुए अग्रसक्रिय एवं आवधिक रूप से अद्यतन करने योग्य तरीके से पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से मनुष्य और मशीन द्वारा पठन योग्य दोनों रूपों में भारत सरकार के स्वामित्व वाले भागिता योग्य आंकड़ों और सूचनाओं की अभिगम्यता को सुसाध्य बनाना है जिसके द्वारा सार्वजनिक आंकड़ों और सूचनाओं की व्यापक अभिगम्यता और उपयोग हो सकेगा।

5. इस नीति का विषय क्षेत्र

राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/ एजेंसियों तथा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सार्वजनिक निधियों से सृजित, निर्मित, एकत्रित और संग्रहित सभी आंकड़ों और सूचनाओं पर लागू होगी।

6. आंकड़ा भागिता नीति के लाभ

6.1 **अधिकतम उपयोगः** सरकारी स्वामित्व वाले आंकड़ों की तैयार पहुंच समुदाय के लाभ के लिए मूल्यवान सार्वजनिक संसाधनों के और गहन उपयोग को समर्थ बनाएंगी।

6.2 **द्विरावृत्ति से बचावः** आंकड़ों की भागिता के द्वारा उसी तरह के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना से बचा जा सकेगा जिससे आंकड़ा एकत्रण में होने वाली लागत में महत्वपूर्ण रूप से बचत होगी।

6.3 **अधिकतम समेकनः** आंकड़ों के एकत्रण और अंतरण के लिए एक जैसे मानकों को अपना कर वैयक्तिक आंकड़ा सेटों का समेकन संभव हो सकेगा।

6.4 **स्वामित्व की जानकारीः** प्रधान आंकड़ा सेटों के लिए स्वामित्व धारकों की पहचान प्राथमिकता निर्धारित आंकड़ा एकत्रण कार्यक्रमों और आंकड़ा मानकों के विकास के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी लोगों की पहचान करने के लिए प्रयोक्ताओं को सूचना प्रदान करती है।

6.5 **बेहतर निर्णय लेनाः** आंकड़ा एवं सूचनाएं दोबारा लागत लगाए बिना महत्वपूर्ण निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाती है। मौजूदा मूल्यवान आंकड़ों तक तैयार अभिगम्यता पर्यावरण संरक्षण, विकास संबंधी आयोजना, परिसम्पत्तियों के प्रबंधन, जीवन दशाओं का स्तरोन्नयन, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आपदा नियंत्रण जैसे बहुत से निर्णयकारी कार्यों में अत्यन्त आवश्यक है।

6.6 **अभिगम्यता की समानताः** पहले से अधिक मुक्त आंकड़ा अंतरण नीति सभी सदाशयी प्रयोक्ताओं के लिए बेहतर अभिगम्यता सुनिश्चित करती है।

7. आंकड़ा वर्गीकरण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भूस्थानिक और गैर-स्थानिक, दोनों रूप में उत्पन्न आंकड़ा सेटों के विभिन्न प्रकारों को भागिता योग्य आंकड़ों और गैर भागिता योग्य आंकड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक

ंख्यिकीय प्रणाली द्वारा तैयार आंकड़ों के प्रकारों में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, मूल्य सूचकांक जैसे
केतक, जनगणना और सर्वेक्षणों से आंकड़ा आधार जैसे व्युत्पन्न सांख्यिकी आंकड़े शामिल हैं। तथापि भू-
ानिक आंकड़ों में मुख्यतः उपग्रह-आंकड़े, मानचित्र आदि शामिल होते हैं। ऐसी प्रणाली में मेटा डाटा,
टा-लेआउट और आंकड़ा अभिगम्यता नीति के संबंध में मानकों को कायम रखना महत्वपूर्ण हो जाता है।
भी विभाग/मंत्रालय इस नीति की अधिसूचना के छः महीने के भीतर नकारात्मक सूची तैयार करेंगे,
ासकी आवधिक समीक्षा पर्यवेक्षण समिति द्वारा की जाएगी।

अभिगम्यता के प्रकार

1 मुक्त अभिगम्यता

र्वजनिक निधिकरण से सृजित आंकड़ों के लिए अभिगम्यता को पंजीकरण/प्राधिकरण की प्रक्रिया के
ना सरल, समयबद्ध, प्रयोक्ता-अनुकूल और वेब आधारित होना चाहिए।

2 पंजीकृत अभिगम्यता

वे आंकड़ा सेट जो संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा पंजीकरण/प्राधिकरण की केवल निर्धारित प्रक्रिया
माध्यम से अभिगम्य हैं, वे सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से मान्यताप्राप्त संस्थानों/संगठनों/लोक
ोक्ताओं को उपलब्ध होंगे।

3 सीमित अभिगम्यता

भारत सरकार की नीतियों द्वारा यथासीमित घोषित किए गए आंकड़े केवल प्राधिकरण के माध्यम और उसके तहत अभिगम्य होंगे।

भागिता और अभिगम्यता के लिए प्रौद्योगिकी

ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रक्रम (ओ एल ए पी) क्षमताओं से युक्त नवीनतम आंकड़ा वेयरहाउस
र आंकड़ा पुरालेखागार जिसमें डाटाबेस का बहुआयामी और विषयोन्मुख विचार प्रदान करना शामिल है,
सृजन करने की आवश्यकता है। data.gov.in के हिस्से के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के डाटा
ेलों के एकीकृत निधान में, आंकड़ों का धारण होगा तथा समयांतराल में इस निधान में विभिन्न राज्य
कारों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा सृजित आंकड़ों को भी सम्मिलित किया जाएगा। डाटा वेयरहाउस की
य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल किए जाने की आवश्यकता है :

(क) प्रयोक्ता अनुकूल अंतरापृष्ठ
(ख) परिवर्तनात्मक/पुल डाउन प्रसूची
(ग) खोज आधारित प्रतिवेदन
(घ) सुरक्षित वेब पहुंच
(ड.) बुलेटिन बोर्ड
(च) पूर्ण मेटाआंकड़े
(छ) निर्यात योग्य प्ररूप में पैरामीट्रिक और परिवर्तनात्मक रिपोर्ट

10. कानूनी ढांचा

ये आंकड़े उस एजेंसी/विभाग/मंत्रालय/इकाई की सम्पत्ति होंगे जिन्होंने इनका संग्रह किया है और ये भागिता तथा अभिगम्यता प्रदान करने के लिए उनकी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सुविधा में विद्यमान रहेंगे। इस नीति के अंतर्गत आंकड़ों की अभिगम्यता भारत सरकार के किसी लागू अधिनियम या नियम का उल्लंघन नहीं करेगी। इस नीति के कानूनी ढांचे को आंकड़ों का समावेश करनेवाले विभिन्न अधिनियमों और नियमों के साथ सुयोजित किया जाएगा।

11. मूल्य निर्धारण

आंकड़ों का मूल्यनिर्धारण, यदि कोई हो, आंकड़ा स्वामियों द्वारा तथा सरकारी नीतियों के अनुसार तय किया जाएगा। सभी मंत्रालय/विभाग इस नीति की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर पंजीकृत और सीमित अभिगम्यता के अंतर्गत आंकड़ों की मूल्यनिर्धारण नीति का अपलोड करेंगे। आंकड़ा स्वामियों के प्रयोग के लिए पैरामीटरों का एक विस्तृत सेट मानकीकृत किया जाएगा तथा इसे आंकड़ा स्वामियों के प्रयोग के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

12. कार्यान्वयन

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से data.gov.in का सृजन करके सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ गहन विचार-विमर्श के जरिए समन्वयन एवं अनुवीक्षण के मुख्य कार्यों को संचालित कर रहा है।

(ख) सभी भागिता योग्य आंकड़ों को 'जैसा है, जहां है' आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा

(ग) आंकड़ा और मेटाडाटा के लिए प्रौद्योगिकी और मानकों सहित विस्तृत कार्यान्वयन मार्गनिर्देशों को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

(घ) वे सभी आंकड़ा प्रयोक्ता जो आंकड़ों की अभिगम्यता/प्रयुक्ति कर रहे हैं, प्रकाशनों के सभी रूपों में मंत्रालय/विभाग का आभार करेंगे।

(ङ.) सभी मंत्रालय/विभाग तीन महीने के भीतर data.gov.in पर उच्च मूल्य के कम से कम 5 डाटासेट प्रदान करेंगे।

(च) शेष बचे सभी आंकड़ा सेटों की अपलोडिंग एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

(छ) इसके पश्चात् सभी आंकड़ा सेटों को प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से अपलोड किया जाना है।

(ज) data.gov.in में मेटाडाटा होगा और स्वयं डाटा की अभिगम्यता विभागों/मंत्रालयों के पोर्टल से की जाएगी।

(झ) मानकीकृत आरूपों में मेटाडाटा को data.gov.in पर रखा जाना है जो विभागीय वेबसाइटों के माध्यम से आंकड़ा अन्वेषण और अभिगम्यता सक्षम बनाता है। सभी मेटाडाटा में मानकों का अनुसरण किया जाएगा और इनमें उचित उद्धरण, अभिगम्यता, संपर्क जानकारी और खोज पर सूक्ष्मतम रूप से पर्याप्त जानकारी प्रदान करेंगे। अधिकांश डाटासेटों के लिए पद्धति,संरचना, अर्थ विज्ञान, और गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन की अपेक्षा की जाती है।

(ञ) सरकार भागिता योग्य आंकड़ों की खुली अभिगम्यता बढ़ाने के लिए आंकड़ा स्वामियों लिए उपयुक्त बजटीय प्रोत्साहन प्रणाली की अभिकल्पना करेगी तथा इसे लागू करेगी।

(ट) नीति तथा इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा।

(ठ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कार्यान्वयन के लिए एक समन्यन समिति का गठन करेगा।

13. बजट प्रावधान

राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति के कार्यान्वयन सदृश से अंकीय रूपांतरण, के परिष्करण आंकड़ा परिष्करण आंकड़ा भंडारण, गुणवत्ता उन्नयन आदि के लिए आंकड़ा स्वामियों और आंकड़ा प्रबंधकों दोनों के लिए व्यय भारित होना अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग/संगठन के लिए आंकड़ा प्रबंधन हेतु बजटीय प्रावधान और उचित सहायता आवश्यक होगी।

14. उपसंहार

14.1 जबकि नीतियां सरकारी अधिदेश प्रदान करती हैं, कार्यान्वयन कर्त्ताओं द्वारा आंकड़ों की इष्टतम अभिगम्यता और प्रयोज्यता के सुविधाकरण के लिए ऐसी अभिगम्य सेवाओं और विश्लेषण सामग्री से युक्त आंकड़ों के उचित संयोजन का प्रस्तुतीकरण एक पूर्व आवश्यकता है जो अनुसंधानकर्त्ताओं और पणधारियों को परिवर्धित मूल्य प्रदान करते हैं। आंकड़ों का पुनः प्रयोग किए जाने के लिए आंकड़ों को पर्याप्त रूप से वर्णित तथा इन्हें उन सेवाओं से जोड़ा जाना आवश्यक है जो आंकड़ों को अन्य अनुसंधानकर्त्ताओं और पणधारियों में प्रसार करते हैं। आंकड़ों का भण्डारण करने की मौजूदा पद्धतियां उतनी ही विविध हैं जितना इनका सृजन करने वाले विषय। यह आवश्यक है कि डोमेन और राष्ट्रीय स्तरों पर सांस्थानिक आंकड़ा भण्डारों, आकार केन्द्रों का विकास किया जाए ताकि भण्डारण और भागिता की सभी पद्धतियों को एक विशिष्ट अवसरंचना के भीतर उपलब्ध कराया जा सके जिससे सभी प्रयोक्ताओं को यह उपलब्ध हो सके और वे इसका उपयोग कर सकें।

14.2 राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति का उद्देश्य आंकड़ा प्रबंधन और आंकड़ा भागिता तथा अभिगम्यता के प्रौद्योगिकी आधारित परिवेश को बढ़ावा देना है। यह उन उपलब्ध आंकड़ों से संबंधित जानकारी को अग्रसक्रिय रूप से प्रदान करता है जिसे विकासात्मक प्रयोजनों, उनके मूल्य विवरण, यदि कोई हो, तथा पंजीकृत और सीमित उपयोग तक अभिगम्यता प्राप्त करने की पद्धतियों के लिए सिविल समाज के साथ भागिता की जा सकती है। इस नीति में भारत सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों, विभागों/मंत्रालयों और इकाइयों के स्वामित्व वाले आंकड़ों के प्रति इसके क्षेत्र को सीमित किया गया है और यह अभिशासन में पारदर्शिता और दक्षता के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता का को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस नीति के आगे के विकास की प्रक्रिया को जारी रखेगा।

आर. शिवकुमार
प्रमुख एन.आर.डी.एम.एस. एवं एन.एस.डी.आई.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2012

संकल्प

सं. एफ 3-14/2011-यू.. 3--जबकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आईसीएचआर्) का पुनर्गठन दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को किया गया था, प्रोफेसर मरियम डोसाल-अल-डोसाल, जिन्हें आईसीएचआर परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था, ने आईसीएचआर की नई पुनर्गठित परिषद् में पदभार ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तद्नुसार एक रिक्ति पैदा हुई हैं अतः, ''भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नियमावली, 1972'' के नियम 3 के तहत् भारत सकरार एतद्द्वारा प्रोफेसर शेरीन रत्नाकर, इम्प्रैस कोर्ट, चर्चगेट रिक्लेमेशन, मुंबई को, सदस्यता की बची हुई अवधि के लिए सदस्य के रूप में नामांकित करती है।

आदेश

एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. पी. सिसोदिया
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) – 2012

1. Preamble

1.1 Asset and value potentials of data are widely recognized at all levels. Data collected or developed through public investments, when made publicly available and maintained over time, their potential value could be more fully realized. There has been an increasing demand by the community, that such data collected with the deployment of public funds should be made more readily available to all, for enabling rational debate, better decision making and use in meeting civil society needs. Principle 10 of the United Nations Declaration on Environment and Development (Rio de janeiro, June 1992), stated

> ***"..........each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities .... and the opportunity to participate in the decision making process. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available."***

Section 4(2) of the Right to Information Act, 2005 reads

> ***"It shall be a constant endeavor of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communication, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information"***

1.2 The principles on which data sharing and accessibility need to be based include: Openness, Flexibility, Transparency, Legal Conformity, Protection of Intellectual Property, Formal Responsibility, Professionalism, Standards, *Interoperability, Quality, Security, Efficiency, Accountability, Sustainability and Privacy.*

1.3 A large quantum of data generated using public funds by various organizations and institutions in the country remains inaccessible to civil society, although most of such data may be non-sensitive in nature and could be used by public for scientific, economic and developmental purposes. The National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP) is designed so as to apply to all sharable non-sensitive data available either in digital or analog forms but generated using public funds by various Ministries / Departments /Subordinate offices / organizations / agencies of Government of India. The NDSAP policy is designed to promote data sharing and enable access to Government of India owned data for national planning and development.

2. Definitions

2.1 **Data**- Data means a representation of information, numerical compilations and observations, documents, facts, maps, images, charts, tables and figures, concepts in digital and/or analog form.

2.2 **Data Archive** – A place where machine-readable data are acquired, manipulated, documented, and distributed to others for further analysis and consumption.

2.3 **Data Generation** - Initial generation / collection of data or subsequent addition of data to the same specification.

2.4 **Data set** - A named collection of logically related features including processed data or information.

2.5 **Geospatial Data** – All data which is geographically referenced

2.6 **Information** – Processed data

2.7 **Metadata** – The information that describes the data source and the time, place, and conditions under which the data were created. Metadata informs the user of who, when, what, where, why, and how data were generated. Metadata allows the data to be traced to a known origin and know quality.

2.8 **Negative list** – Non sharable data as declared by the departments / organizations

2.9 **Restricted Data** – Data which are accessible only through a prescribed process of registration and authorization by respective departments / organizations.

2.10 **Sensitive data** -Sensitive data as defined in various Acts and rules of the Government of India.

2.11 **Sharable data**- Those data not covered under the scope of negative list and non-sensitive in nature

2.12 **Standards** - Any application that embeds data handling functions (e.g., data collection, management, transfer, integration, publication, etc.) and operates on data in a manner that complies with data format and data syntax specifications produced and maintained by open, standards bodies.

3. Need for the Policy

Evidence-based Planning of socio-economic development processes rely on quality data. There is a general need to facilitate sharing and utilization of the large amount of data generated and residing among the entities of the Government of India. This would call for a policy to leverage these data assets which are disparate. The current regime of data management does not enable open sharing of Government owned data with other arms of the government nor does it expect proactive disclosure of sharable data available with data owners. Such regimes could lead to duplication of efforts and loss of efficiency of planning of activities focused on national development. Efficient sharing of data among data owners and inter and intra governmental agencies and with public calls for data standards and interoperable systems. Hence, National Data Sharing and Access Policy aims to provide an enabling provision and platform for providing proactive and open access to the data generated through public funds available with various departments / organizations of Government of India.

4. Objectives

The objective of this policy is to facilitate the access to Government of India owned shareable data and information in both human readable and machine readable forms through a network all over the country in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related policies, Acts and rules of Government of India, thereby permitting wider accessibility and use of public data and information.

5. Scope of this Policy

The National Data Sharing and Accessibility Policy will apply to all data and information created, generated, collected and archived using public funds provided by Government of India directly or through authorized agencies by various Ministries / Departments /Organizations / Agencies and Autonomous bodies.

6. Benefits of the data sharing policy

6.1 **Maximising use**: Ready access to government owned data will enable more extensive use of a valuable public resource for the benefit of the community.

6.2 **Avoiding duplication**: By sharing data the need for separate bodies to collect the same data will be avoided resulting in significant cost savings in data collection.

6.3 **Maximised integration**: By adopting common standards for the collection and transfer of data, integration of individual data sets may be feasible.

6.4 **Ownership information**: The identification of owners for the principal data sets provide information to users to identify those responsible for implementation of prioritized data collection programs and development of data standards.

6.5 **Better decision-making**: Data and information facilitates making important decisions without incurring repetitive costs. Ready access to existing valuable data is essential for many decision making tasks such as protecting the environment, development planning, managing assets, improving living conditions, national security and controlling disasters.

6.6 **Equity of access**: A more open data transfer policy ensures better access to all bonafide users.

7. Data Classification

Different types of data sets generated both in geospatial and non-spatial form by different ministries /departments are to be classified as shareable data and non shareable data. The types of data produced by a statistical system consist of derived statistics like national accounts statistics, indicators like price index, data bases from census and surveys. The geospatial data however, consists primarily of satellite data, maps, etc. In such a system, it becomes important to maintain standards in respect of metadata, data layout and data access policy. All departments / ministries will prepare the negative list within six months of the notification of the policy, which will be periodically reviewed by the oversight committee.

8. Types of Access

8.1 Open Access

Access to data generated from public funding should be easy, timely, user-friendly and web-based without any process of registration / authorization.

8.2 Registered Access

Data sets which are accessible only through a prescribed process of registration / authorization by respective departments / organizations will be available to the recognized institutions / organizations / public users, through defined procedures.

8.3. Restricted Access

Data declared as restricted, by Government of India policies, will be accessible only through and under authorization.

9. Technology for sharing and access

A state-of-the-art data warehouse and data archive with online analytical processing (OLAP) capabilities, which includes providing, a multi-dimensional and subject oriented view of the database needs to be created. This integrated repository of data portals of various ministries / departments as a part of data.gov.in, will hold data and this repository over a period of time will also encompass data generated by various State Governments and UTs. The main features of the data warehouse need to include:

(a) User friendly interface
(b) Dynamic / pull down menus
(c) Search based Report
(d) Secured web access
(e) Bulletin board
(f) Complete Metadata
(g) Parametric and Dynamic report in exportable format

10. Legal framework

Data will remain the property of the agency/department/ ministry/ entity which collected them and reside in their IT enabled facility for sharing and providing access. Access to data under this policy will not be in violation of any Acts and rules of the Government of India in force. Legal framework of this policy will be aligned with various Acts and rules covering the data.

11. Pricing

Pricing of data, if any, would be decided by the data owners and as per the government policies. All Ministries / Departments will upload the pricing policy of the

data under registered and restricted access within three months of the notification of the policy. A broad set of parameters would be standardized and provided as guidelines for the use of data owners.

12. Implementation

a) The Department of Science & Technology serving the nodal functions of coordination and monitoring of policy through close collaboration with all Central Ministries and the Department of Information Technology by creating data.gov.in through National Informatics Centre (NIC).
b) All sharable data will be made available on 'as-is where-is' basis.
c) Detailed implementation guidelines including the technology and standards for data and metadata would be brought out by Department of Information Technology, Government of India.
d) All the data users who are accessing / using the data shall acknowledge the ministry / department in all forms of publications.
e) All Ministries/Departments will upload at least 5 high value data sets on data.gov.in within three months of the notification of the policy.
f) Uploading of all remaining data sets should be completed within one year.
g) Thereafter, all data sets are to be uploaded regularly every quarter.
h) data.gov.in will have the metadata and data itself and will be accessed from the portals of the departments/ministries.
i) The metadata in standardized formats is to be ported on data.gov.in which enables data discovery and access through

departmental portals. All metadata will follow standards and will minimally contain adequate information on proper citation, access, contact information, and discovery. Complete information including methods, structure, semantics, and quality control/assurance is expected for most datasets.

j) Government will design and position a suitable budgetary incentive system for data owners for increasing open access to the sharable data.

k) An oversight committee will be constituted for facilitating the implementation of the policy and its provisions thereof

l) Department of Information Technology will constitute a coordination committee for implementation.

13. Budget Provisions

The implementation of National Data Sharing and Access Policy is expected to entail expenditures for both data owners and data managers for analog to digital conversion, data refinement, data storage, quality up-gradation etc. Budgetary provisions and appropriate support for data management for each department / organization by Government of India would be necessary.

14. Conclusion

14.1 While policies provide official mandate, facilitation of optimum accessibility and usability of data by the implementers pre-suppose a trajectory of proper organisation of data, with access services and analysis tools that provide the researchers and stakeholders with added value. For data to be reused, it needs to be adequately described and linked to services that disseminate the data to other researchers and stakeholders. The current methods of storing data are as diverse as the disciplines that generate it. It is necessary to develop institutional repositories, data centers on domain and national levels that all methods of storing and sharing have to exist within the specific infrastructure to enable all users to access and use it.

14.2. National Data Sharing and Access Policy aims at the promotion of a technology-based culture of data management as well as data sharing and access. It opens up, proactively, information on available data, which could be shared with civil society for developmental purposes, their price details if any, and methods for gaining access to registered and restricted use. The policy has limited its scope to data owned by the agencies, departments/ Ministries and entities under the Government of India and forms a statement of the Government of India of its commitment to transparency and efficiency in governance. Department of Science & Technology will continue the process of evolving the policy further, keeping in tune with technological advancements and the National requirements and enrolling the State Governments.

R. SHIVA KUMAR
Head NRDMS & NSDI

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 17th February 2012

RESOLUTION

No. F. 3-14/2011. U. 3—Whereas the Council of Indian Council of Historical Research (ICHR) was reconstituted on the 0th November, 2011, Prof. Mariam Dossal-Al Dossal, who was nominated as a member of the Council of ICHR, has conveyed her ability to join the newly reconstituted Council of ICHR. Accordingly a vacancy has arisen. Hence, under rule 3 of the "Rules of e Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1972", the Government of India hereby nominates Prof. Shereen Ratnagar, mpress Court, Churchgate Reclamation, Mumbai as a member for the un-expired term of the membership.

ORDER

It is hereby ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

R. P. SISODIA
Jt. Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
AND
HOUSING & URBAN POVERTY ALLEVIATION

New Delhi-110011, the 6th March 2012

RESOLUTION

No. E-11016/1/2009-Hindi : In supersession of Resolution No.E-11015/1/99-Hindi dated 19th May, 2005 issued by erstwhile Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India have decided to re-constitute the Joint Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation as under:-

Minister for Housing & Urban Poverty Alleviation	Chairman
Minister of State for Urban Development	Vice-Chairman

I.- Non -official Members

Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

1.	Shri Soma Bhai Gendalal Koli Patel, M.P. (Lok Sabha)	Member
2.	Shri Gajender Singh Rajukheri, M.P. (Lok Sabha)	Member
3.	Shri Hussain Dalwai, M.P. (Rajya Sabha)	Member
4.	Shri Bharat Kumar Raut, M.P. (Rajya Sabha)	Member

Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language

5.	Shri Kishan Bhai V. Patel, M.P. (Lok Sabha)	Member
6.	Shri Ninong Eering, M.P. (Lok Sabha)	Member